न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 42/2018 राजस्व अपील

1. हरदयाल पुत्र सेडूराम जाति बैरवा निवीस लॉका तहसील सिकराय जिला दौसा उप तहसील बहरावण्डा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए उप तहसीलदार बहरावण्डा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 27.08.2015 मु.न. 68/2015 सरकार बनाम हरदयाल अ.धारा 91 राज. लैण्ड रे.ए.

उपस्थिति : श्री जगजीवन राम, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक: 17.05.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा को इस आशय की पेश की कि खसरा नम्बर 415/1 किस्म चरागाह भूमि पर संवत 2072 मे काश्त कर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर लिया है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की विधिवत तामील हुए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 27.08.2015 को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, निर्णय दिनांक 27.08.2015 पारित कर अपीलान्ट को 30 दिन के सिविल कारावास एवं पैनलटी कायम कर दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27.08.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये व बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण नही कर, बिना कोई अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का किसी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नही है। अतः प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम लॉका तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नंबर 415/1 रकबा 1 बीघा भूमि पर बाजरे की काश्त कर एवं 01 बिस्वा भूमि पर आबादी बाडा बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 27.08.2015 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय मे पारित निर्णयानुसार अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर काश्त कर अतिक्रमण किया जाना व्यक्त किया गया है। जबकी पटवारी हल्का की रिपोर्ट में काश्त व आबादी बाडा बनाकर अतिक्रमण किया जाना व्यक्त किया गया है। इस प्रकार तथ्यो में भिन्नता प्रकट होती है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई और सबूत का अवसर दिये बिना ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रकरण नायब तहसीलदार बहरावण्डा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 42/2018 राजस्व अपील

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्रकरण में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 27.08.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार बहरावण्डा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के मौके की जांच कर एवं अपीलान्ट को सुनवाई और सबूत का अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official